

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/लिंक नं. 10712/2013/अलेसे-III/1181

दिनांक :- 05-01-2024

कार्यालय आदेश

श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार, (लिंक नंबर-10712) को जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर के पत्र क्रमांक: 15539-40 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार मुकदमा नंबर-77/2021 में धारा 498-ए, 406, 323 भा.द.स. के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित होने पर दिनांक 15.11.2022 से 14.12.2022 तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाने पर राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में गिरफ्तारी दिनांक 15.11.2022 से सेवा से निलम्बित किया गया था।

श्री महावर को निलम्बित हुए 06 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री महावर द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की नियमानुसार छः माह पूर्ण होने की तिथि से अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/लिंक नं. 10712/2013/अलेसे-III/1181
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक :- 05-01-2024

1. जिला पुलिस अधीक्षक अलवर/धौलपुर।
2. कोषाधिकारी भरतपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
5. श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार, (निलम्बित) कार्यालय कोषाधिकारी भरतपुर।
6. जांच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
7. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक)